

26

फर्द अहकाम

(नियम 13)

मिर्चि

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

गौरचनराज, वाकुराज, पिंरनाराज
कोम पाट सापनीणी धरवाले
की दावा

निबंधकोट

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 26/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-9-2020	पटवारी हल्का मिर्चिकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा पत्तोनी धरवाले के खसरा संख्या 220/2 रकबा 0.0566 हे. की दावा पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-09-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।	
16-9-2020	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
	पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के जवाब हेतु भवदर डिवा जाकर पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को पेश है।	
	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

30-9-2020

पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सामल
अनुपालित। गैर सामल का जवाब दे
अवलर दिना जाकर पत्रावली दिनांक
22-10-2020 को पेश है।


तहसीलदार मिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सामल अनुपालित।
गैर सामल के मतिवली मानने हुए
पत्रावली फेलत सुधार है। निर्णय मलय
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है, निर्णय
सुके न्यायालय के द्वारा जाया। पत्रावली
फेलत सुधार देकर डाखिल इफतर है।


तहसीलदार मिणधरी
जिला-बाड़मेर